न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 सौम्या झा

आई0ए0एस0

एफ0पी0एस0 अपील सं0 05/2026

हरकेश मीना पुत्र ठण्डीराम मीना, उम्र 44 वर्ष, (उ.मू.दू. पोस सं. 20699 ग्राम पंचायत बाडा बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा (राज.)

.....अपीलांट

विरूद्ध

राजस्थान सरकार जरिये

1. जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा
2. प्रवर्तन निरीक्षक महवा जिला दौसा

.... रेस्पोडेन्ट

विरूद्ध निर्णय/आदेश जिला रसद अधिकारी दौसा प्रकरण सं. –81/2025 उनवानी प्रकरण राज सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक महवा बनाम हरकेश मीना उ0 मू. दू. पोस सं. 20699 ग्राम बाडा बुजुर्ग त० महवा निर्णय दिनांक 26–12–2025

उपस्थित–1. श्री दिनेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट।

2. श्रीमती सूरज बाई मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

निर्णय — दिनांक: [illegible].2026

1. अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 26.12.2025 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट हरकेश मीना पुत्र ठण्डीराम मीना को राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (विवरण वा विनियमन) अधि० 1976 के तहत प्राधिकार पत्र जारी किया जो उ.मू. दू–पोस. से 20699 ग्राम बाडा बुजुर्ग तह० महवा जिला दौसा के नाम पर था। दिनांक 26–12–2025 को अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत अपीलाण्ट के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुये, अपीलाण्ट की सम्पूर्ण जमा प्रतिभूति राशि जस्त सरकार की जाकर अपीलाण्ट को जारी प्राधिकार पत्र (निरस्त) निरस्त करने का आदेश दिया जाकर निर्णय सुनाया गया उक्त आदेश दिनांक 26–12–25 से व्यथित होकर माननीय न्यायालय में अपील पेश की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। तथा साक्ष्य व सबूत पेश करने तक का अवसर नहीं दिया गया। केवल एक ही दिन में अपीलान्ट को सुने बिना से एकतरफा निर्णय दिया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय/आदेश दिनांक 26–12–25 निरस्तनीय है। सयुक्त जाँच दल एवं प्रवर्तन निरीक्षक महवा की रिपोर्ट मात्र को आधार बनाकर निर्णय दिया गया। जबकि जाँच दल की रिपोर्ट के तथ्य विरोधाभाषी एवं न्याय निर्णय हेतु पर्याप्त आधार नहीं थे। पोसमशीन से वितरण के दौरान पर्ची दी जाती थी। व दुकान सूचना पट्ट पर वर्तमान स्टाक का इन्द्राज का अंकन

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

था। शिकायत हेतू मो. न० भी अंकित थे। अपीलान्ट द्वारा इलेक्ट्रोनिक कांटा गोदाम में होना बताया गया। जाँच दल द्वारा पोस मशीन से 20699 में गेहू का स्टाक विवरण में कोई त्रुटि नहीं थी। क्योंकि गेहू वितरत के दौरान बार बार नाप तोल से छीजत आना संभावित है । जाँच दल द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं से पूछताछ व बयान लिऐ जो कि अपीलाण्ट में विद्वेष भाव रखते थे। कोई स्वतंत्र गवाह से पूछताछ या बयान अंकित नहीं है। ग्राम सरपंच से कोई पूछताछ नहीं की गयी। अपीलाण्ट को राजनैतिक द्वेश्यता के कारण जाँच दल ने कार्यवाही की गयी है। जाँचदल द्वारा पोस मशीन व उचित मूल्य दुकान को कोई फोटोग्राफ या सीड़ी नही बनायी गयी, तथा बतौर साक्ष्य मे जाँच दल ने ऐसे सबूत पेश नहीं किये जिससे अपीलाण्ट को दोषी माना जा सके, ऐसी स्थिति में अधिनस्य न्यायालय का निर्णय दिनाक 26.12.2025 निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के हक में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर राजस्थान की रिट संख्या – 19047/2025 निर्णय दिनांक 17-–12–25 को न्याय निर्णय दिया गया था कि अधिनस्थ न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 12–11–2025 को स्टे कर दिया गया। उक्त न्यायिक निर्णय के पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26–12–2025 को एकतरफा निर्णय पारित कर अपीलांट का प्राधिकार पत्र रद्ध/निरस्त कर कानूनी त्रुटि कारित हुई है। दिनांक 20–11–2025 को ग्रामपंचायत बाडा बुजुर्ग के डीलर अपीलाण्ट (हरकेश मीना) से सलीम खांन डीलर खोहरामुल्ला पोसमशीन का स्टाक 129.43 गेहूं का सम्पूर्ण स्टाक सलीम खान डीलर को प्रदान कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी दौसा का निर्णय दिनांक 26–12–25 को निरस्त/अपास्त फरमाते हुये अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे, एवं अपीलांट की सम्पूर्ण जमा प्रतिभूति राशि लौटाने के आदेश फरमावें।

4. विभागीय पैरोकार सरकार ने कथन किया कि उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध समस्त बस्ती बाडा बुजर्ग व झाडीसा का पुरा द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवर्तन निरीक्षक महवा एवं लालसोट का संयुक्त जाँच दल दिनांक 29.10.2025 को गठित किया जाकर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये गये। जिस पर संयुक्त जांच दल द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में प्रवर्तन निरीक्षक, महवा ने दिनांक 12.11.2025 को जिला रसद कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें पोस मशीन से वितरण के दौरान पर्ची नहीं दिया जाना, दुकान पर स्थित सूचना पट्ट पर वर्तमान स्टॉक का इन्द्राज नहीं किया जाना तथा शिकायत निवारण हेतु उपभेक्ता हेल्प लाईन नं. व विभागीय अधिकारियों के दूरभाष नं. का अंकन नहीं किया जाना पाया गया। साथ ही ऑफलाईन योजनावार स्टॉक रजिस्टर संधारित नही किया जाना, वक्त जांच विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये इलेक्ट्रोनिक कांटा दुकान गोदाम में मौजूद नहीं होना एवं वक्त जांच मौके पर 5.37 क्विंटल गेंहू कम पाया गया। उक्त अनियमितता पाये जाने पर जिला रसद कार्यालय के आदेश क्रमांक 2047, दिनांक 12.11.2025 द्वारा उ.मू. दु. का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया तथा उचित मूल्य दुकानदार को क्रमांक 2054, दिनांक 12.11.2025 द्वारा निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलांट द्वारा जिला रसद कार्यालय में जवाब प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक नहीं होने से एवं प्रकरण में गम्भीर अनियमितताएं एवं 15.77 क्विंटल गेहूं का गबन करने के कारण अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 26.12.2025 को संपूर्ण जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे। पैरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान यह भी कथन किया गया कि अपीलांट के विरूद्ध 15.77 क्विंटल गेहूँ का दुरूपयोग किये जाने पर प्रवर्तन निरीक्षक महवा के द्वारा दिनांक 5.12.2025 को पुलिस थाना सलेमपुर में एफआईआर सं0 0194/2025 दर्ज कराई गई है।

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उचित मूल्य दुकानदार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन निरीक्षक महवा एवं प्रवर्तन निरीक्षक लालसोट का संयुक्त जाँच दल दिनांक 29.10.2025 को गठित किया जाकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश पर संयुक्त जांच दल द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में प्रवर्तन निरीक्षक, महवा ने दिनांक 12.11.2025 को जिला रसद कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पोस मशीन से वितरण के दौरान पर्ची नहीं दिया जाना, दुकान पर स्थित सूचना पट्ट पर वर्तमान स्टॉक का इन्द्राज नहीं किया जाना तथा शिकायत निवारण हेतु उपभेक्ता हेल्प लाईन नं. व विभागीय अधिकारियों के दूरभाष नं. का अंकन नहीं किया जाना पाया गया तथा ऑफलाईन योजनावार स्टॉक रजिस्टर संधारित नही किया जाना, वक्त जांच विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये इलेक्ट्रोनिक कांटा दुकान गोदाम में मौजूद नहीं होना एवं वक्त जांच मौके पर 5.37 क्विंटल गेंहू कम पाया गया। उक्त अनियमितता पाये जाने पर जिला रसद कार्यालय के आदेश क्रमांक 2047, दिनांक 12.11.2025 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया तथा जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को दिनांक 12.11.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलांट द्वारा जिला रसद कार्यालय में कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक नहीं होने से एवं प्रकरण में गम्भीर अनियमितताएं एवं 15.77 क्विंटल गेहूं का गबन करने के कारण अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 26.12.2025 को संपूर्ण जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट के विरूद्ध 15.77 क्विंटल गेहूॅं का दुरूप्योग किये जाने पर प्रवर्तन निरीक्षक महवा के द्वारा दिनांक 5.12.2025 को पुलिस थाना सलेमपुर में एफआईआर सं0 0194/2025 दर्ज कराई जाना ज्ञात होता है। पत्रावली में संलग्न माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ एसबी सिविल रिट याचिका सं0 19047/2025 उनवानी हरकेश बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 17.12.2025 का अवलोकन किया गया जिसके द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र को निलंबित किये गये आदेश दिनांक 12.11.2025 को स्थगित किया गया है एवं प्राधिकार पत्र निरस्ती प्रकिया पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 जून 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि में की जा सकेगी।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official